—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 137/2021

उनवान

1. मान सिंह पुत्र कालूराम
2. सुशीला पुत्री कालूराम
3. मैना पुत्री कालूराम
4. मीरा पत्नी पप्पूलाल
5. दिनेश
6. पूजा
7. सुनिता ना.बा.
8. अंकित ना.बा. पि. पप्पूलाल समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री महेश सुकरिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 13.1.26

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के चौसाला खसरा नम्बर 5958 के वंर्किग खसरा नम्बर 7787 रकबा 1—16—10 के हाल खसरा नम्बर 6901 रकबा 0.30 की आराजी वादीगण के पूर्वज कालूराम पुत्र चन्द्रा को दिनांक 18.12.1975 को आवंटन से प्राप्त हुयी है। उक्त आवंटन का अंकन वंर्किग जमाबंदी में किया गया। आवंटन दिनांक से ही वादीगण/पूर्वज का आराजी मुतनाजा पर कब्जा कश्त चला आ रहा है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक अंकित कर दिया। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग जमाबंदी में खसरा नम्बर 7787 रकबा 1—16—0 कालू पुत्र चन्द्रा को आवंटन का अंकन दर्ज है। बंदोबस्त विभाग व राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमानुसार सर्वे कार्यवाही कर भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है। वाद चलने योग्य नही है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज [illegible] होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

[illegible] वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:16:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, आवंटन आदेश पेश किये व वादी मान सिंह का शपथ पत्र पेश किया।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

तनकी संख्या 1:–

वादी का कथन है कि ग्राम रामसर के चौसाला खसरा नम्बर 5958 के वंर्किग खसरा नम्बर 7787 रकबा 1–16–10 के हाल खसरा नम्बर 6901 रकबा 0.30 की आराजी वादीगण के पूर्वज कालूराम पुत्र चन्द्रा को दिनांक 18.12.1975 को आवंटन हुयी है। वादी द्वारा आवंटन के समर्थन में आवंटन पट्टा पेश किया है। किन्तु उक्त आंवटन पत्र में वंर्किग खसरा नम्बर में काट–छांट कीयी है। वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 7787 रकबा 1–16–0 के आगे कालूराम पुत्र चन्द्रा के नाम आवंटन का नोट अंकित है। किन्तु उक्त नोट किसी नामान्तकरण से दर्ज नही की सीधे ही अंकित कर दिया है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि अधिकार अभिलेख जमाबंदी में किसी भी प्रकार का इन्द्राज जरियें नामान्तकरण ही किया जा सकता है। बिना नामान्तकरण के सीधें जमांबदी में नोट अंकित करेन के कारण हाल राजस्व अभिलेख में बंदोबस्त विभाग व राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमानुसार भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है। आराजी मुतनाजा 18.12.75 को आंवटन होना बताया गया है। किन्तु वादीगण ने कब्जें के प्रमाण के लिये खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2034 व 2055 से 2058 ही पेश की है जिसमें भी वादीगण/पूर्वज का कब्जा यदा–कदा अतिक्रमी की हैसियत से ही है। वादीगण/पूर्वज का उक्त आराजी पर लगातार कब्जा काश्त नही रहा है। आवंटन दिनांक के बाद वादीगण द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नही किया है। वर्तमान में वादीगण का कब्जा उक्त आराजी पर नही है। वादीगण द्वारा प्रकरण में स्वतंत्र गवाह के बयान भी नही कराये है। भूमि हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक है। अतः वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 6901 रकबा 0.30 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:16:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मान सिंह बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1936

राजस्व मुकदमा नम्बर – 137/2021
पेश करने की दिनांक – 16.11.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक महेश सुकरिया मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 6901 रकबा 0.30 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 1 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वज़ह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:16:25 IST
Reason: SelfAttested